



५७/१

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव देतना फैन्ड, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 139 / 05/76 / एक / 2016-17

दिनांक : १७ अप्रैल 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद-हापुड।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
पंजाब नेशनल बैंक	IFSC Code PUNB0019800	✓ 419.615	(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	हापुड	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० हापुड	मलिन वस्ती रामगढ़ी कालोनी में कान्ती के मकान से रोशन के मकान व संलग्न गलियों में, रामगढ़ी मार्ग से राजेश वाली गली में, धर्मपाल के मकान से रोहताश के मकान तक, रोहताश के मकान से श्रीराम के मकान तक एवं तेजपाल के मकान से राजपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18.273
2	हापुड	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० हापुड	मलिन वस्ती हर्षविहार में राजवीर के मकान से मायादेवी के मकान होते होते हुये पुरानी टाईल्स वाली गली तक, सरकारी गल्ले की दुकान से राजकुमार के मकान तक व मैन रोड से राकेश के मकान व संलग्न गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.975
3	हापुड	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० हापुड	मलिन वस्ती भीमनगर कालोनी में लोकेश के मकान से रामवीर के मकान तक, विरेन्द्र के मकान से लोकेश के मकान तक, करनसिंह के मकान से बलवीर के मकान तक एवं चरन के मकान से विरेन्द्र वाली गली तक व संलग्न गली में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.385
4	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प०परि० हापुड	मजीदपुरा कालोनी भाग-ए में मदरसे से उमर शाह के मकान तक, ईदगाह रोड से मदरसे तक एवं सरकारी दयूबैल से पुरानी टाईल्स तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.959
5	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प०परि० हापुड	मजीदपुरा कालोनी भाग-बी में आरा मशीन से मदरसे तक, मस्जिद से गुलजार के घर होते हुये ईदगाह मार्ग तक, मजीदपुरा रोड से मदरसे तक एवं सैदू के मकान से ईदगाह वाली गली तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.302
6	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प०परि० हापुड	फूलगढ़ी कालोनी भाग-ए में जमील के मकान से शाहिद के मकान तक, आरिफ के मकान से नसीम के मकान	15.722



४७/२

दूरभाष— 2286709  
2286710

नव घेटना कोन्द, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वर्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
				होते हुये अमीरुद्धीन के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	
7	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प०परि० हापुड	फूलगढ़ी कालोनी भाग—बी में जफर के मकान से इरफान के मकान तक, फूलगढ़ी मार्ग से शेफुल्ला के मकान तक एवं इस्ताक के मकान से नसीम के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.657
8	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प०परि० हापुड	फूलगढ़ी कालोनी भाग—सी में जफर के मकान से गुडडी के मकान तक, साबू के मकान से गुडडो के मकान तक व संलग्न गली, मस्जिद वाली गली एवं जैद के मकान से मस्जिद वाली गली तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.999
9	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प००प० पिलखुआ	मो०, सद्दीकपुरा कालोनी भाग-ए में मो० अली अन्सारी के मकान से रफीकत के मकान तक एवं शफाकत के मकान से बाबू अंसारी के मकान तक व संलग्न गली में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.274
10	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प००प० पिलखुआ	मो० सद्दीकपुरा कालोनी भाग-बी में मोहद्दीन के मकान से कब्रिस्तान तक, मुस्ताक के मकान से कब्रिस्तान तक, इस्लाम के मकान से निजाम के मकान तक, रफीकत वाली गली में एवं महबूब के मकान से पुरानी टाईल्स मार्ग तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.233
11	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प००प० पिलखुआ	मो०, रफीकनगर कालोनी में हकीमुद्दीन के मकान से दिलशाद के मकान तक, इलियास के मकान से नईम के मकान तक एवं शकील के मकान से फातिमा के मकान तक व संलग्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.378
12	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प००प० पिलखुआ	मो० अलीनगर कालोनी भाग-ए में रमपुरा रोड से जफरु के मकान तक एवं नगमा वाली गली व संलग्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.698
13	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प००प० पिलखुआ	मो० अलीनगर कालोनी भाग-बी में रहिदगाह रोड से बरकत के मकान तक, हाजी वकील के मकान से वाहिद के मकान तक एवं रामपुर रोड से फकरु वाले मार्ग तक एवं संलग्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.908
14	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प००प० पिलखुआ	मो० करीमपुरा कालोनी भाग-ए में शकील के मकान से हाजी युनूस के मकान होते हुये इकराम इलाही के मकान तक, शहीद के मकान से सीमा के मकान तक एवं असलम वाली गली में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.685
15	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प००प० पिलखुआ	मो० करीमपुरा कालोनी भाग-बी में ताहिर के मकान से नवाब के मकान तक व मस्जिद वाली गली में, मो० असरफ के मकान से कब्रिस्तान होते हुये शौकत के मकान तक, मुर्तजा नईम के मकान से गुफरान के मकान तक एवं शेरा वाली गली में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.044
16	हापुड	मलिन वर्ती-83 बजट	न०प००प०	मो० छिद्धापुरी कालोनी भाग ए में शिवकुमार के मकान से इदरीश के	11.579



## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र० सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
			पिलखुआ	मकान तक। ओमप्रकाश के मकान से संजीव के मकान होते हुये पुरानी टाईल्स मार्ग तक व सहायक गलियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	
17	हापुड	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० पिलखुआ	मो। छिद्दापुरी कालोनी भाग बी में सुभाष के मकान से खेमपाल के मकान तक एवं सलग्न गलियों में शिवकुमार के मकान से खेमपाल के मकान तक व मंयक के मकान से शिवकुमार वाली गली में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.030
18	हापुड	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० पिलखुआ	मो। छिद्दापुरी कालोनी भाग सी में नन्दलाल के मकान से अंवर सिंह के मकान तक। चन्दो के मकान से रामपाल के मकान तक रामपाल के मकान से राधा के मकान तक व सहायक गलियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.506
19	हापुड	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० पिलखुआ	मो। रमपुरा कालोनी भाग ए में मल्लू के मकान से राजकुमार के मकान तक। पुष्पेन्द्र के मकान से राजकुमार वाली गली तक व अन्य गलियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.797
20	हापुड	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० पिलखुआ	मो। रमपुरा कालोनी भाग बी में शाकिर के मकान से राजू के मकान तक। नील गगन स्कूल से इस्लाम के मकान तक। दीपक के मकान से तेजपाल के मकान तक। देवेन्द्र के मकान से तारा के मकान तक व मुकीमपुर रोड व सलग्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.494
21	हापुड	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० हापुड	मो। शिवनगर कालोनी में तारा चन्द्र के मकान से धीरज के मकान तक। व पार्क के पीछे वाली गली में भोपाल के मकान से श्यामपुर रोड तक एवं गढ़रोड से सुरेश सेनी वाली गली तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.468
22	हापुड	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० हापुड	मो। राजीव कालोनी में पप्पू सेनी के मकान से चमोली के मकान होते हुये इन्द्रा देवी के मकान से मनोज के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.866
23	हापुड	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० गढ़मुक्तेश्वर	मो। आदर्श नगर कालोनी में शेर सिंह जाटव के मकान से शादिर के मकान तक। शादिर के मकान से इस्लाम के मकान तक। संजय के मकान से हरेन्द्र के मकान तक। आनन्द के मकान से हरस्वरूप के मकान तक। संजय वाली गली से राजेन्द्र के मकान तक व अन्य गलियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.622
24	हापुड	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० हापुड	मो। मोती कालोनी में तेजपाल के मकान से वेद प्रकाश के मकान तक। सुभाष के मकान से श्रीमत्यागी के मकान तक। लक्ष्मी के मकान से संजय के मकान होते हुये जयकिशन के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.742
25	हापुड	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० गढ़मुक्तेश्वर	मो। रिफ्यूजी कालोनी में बिन्द्र जाटव के मकान से श्रीपाल वाली गली तक। श्रीपाल के मकान से मेन रास्ते तक। प्रेमकुमार के मकान से जगदीश के मकान तक। राजेन्द्र मकान से दुलीचन्द के मकान तक व सलग्न गली में एवं अमर जीत वाली गली में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	15.470



५७१५

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव वेलना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
26	हापुड	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० गढ़मुकोश्वर	मो० छोटा बाजार कालोनी आग ए में सेनी धर्मशाल से शिवकुमार के मकान तक व सुखवीर के मकान से राजेश के मकान तक व संलग्न गली में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	13.376
27	हापुड	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० हापुड	मो० शक्तिनगर कालोनी आग ए में रामसिंह के मकान से बब्लू के मकान तक एवं तेजवीर के मकान से रेखा के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	15.967
28	हापुड	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० हापुड	मो० शक्तिनगर कालोनी आग वी में बन्टी इलेक्ट्रिक दुकान से बाला देवी के मकान से तक पुष्पा के मकान से ममता के मकान तक एवं विजय के मकान से गंगासरन के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	16.003
29	हापुड	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० हापुड	मो० शक्तिनगर कालोनी आग सी में ओमवती के मकान से बिमला के मकान होते हुये जयसिंह के मकान तक। राजेन्द्र के मकान से पिन्टू के मकान तक। तेजपाल के मकान से बादूराम के मकान तक। सुनिता के मकान से सन्तोष के मकान तक। कुलदीप के मकान से गंगासरन के मकान तक एवं सूरज प्रकाश के मकान से कृष्णादेवी के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	15.203
					419.615

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुद्धित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



५७१८

दूरभाष 2286709  
2286710

नव घोरना क्रेन्द, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 9— उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं रखीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रखीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुगन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रकपत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा
- कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।